दिनांक 03.10.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1– *उपस्थिति पंजी में संधारित है।*

कार्यवाही

02– सर्वप्रथम आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से किंये गए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। विगत बैठक में ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हेतु प्रपत्र–6 भरकर संबंधित BLO को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया था। सभी बाल विकास परियेाजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सेविकाओं के माध्यम से प्रपत्र–06 भरकर संबंधित BLO को हस्तगत कराया गया है परन्तु किसी के द्वारा स्पष्ट आकड़ा नही दिया जा सका। साथ ही कितने केन्द्रों से सम्पर्क किया गया तथा कितने केन्द्रों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए है, की जानकारी भी नही उपलब्ध कराया जा सका। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओ को सूचित किया गया कि मतदाता पुनरीक्षण की तिथि का विस्तार करते हुए इसे 15.10.2013 तक सम्पादित कराया जाना है। निदेश दिया गया कि दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति छुटे नही इसके लिए आवश्यक है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका अपने क्षेत्र के सभी केन्द्रों का अलग–अलग भ्रमण करना सुनिश्चित करें। खासकर महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(अनुपालन–सभीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

03– समाज कल्याण से संबंधित गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	00	01
2	सिमरिया	03	05
3	टण्डवा	00	00
4	ईटखोरी	01	00
5	हण्टरगंज	01	00
6	प्रतापपुर	00	01
	कुल–	**05**	**07**

संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस माह के अंत तक रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका/सहायिका का चयन आम–सभा के माध्यम से कर लिया जाय ताकि किसी भी केन्द्र पर पोषाहार बाधित नही हो। **(अनुपालन–संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

04– निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि किसी भी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है। निदेश दिया गया कि सभी महिला पर्यवेक्षिका अपना–अपना निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से उनके मन्तब्य के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी अपना–अपना निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को प्रत्येक माह के 5वी तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे ताकि समीक्षोपरान्त विभाग को प्रेषित किया जा सकें। निरीक्षण टिप्पणी के साथ फोटोग्राफ अवश्य संलग्न रहना चाहिए।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

05– मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत कुल 843 लाभुकों में से वर्त्तमान समय तक विभिन्न परियोजनाओं से कुल 188 लाभुको के राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र क्रय से संबंधित आवेदन (विहित प्रपत्र) अप्राप्त रहने के कारण उनके नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र निर्गत नही कराया जा सका है। गत बैठक में भी उन्हें आवेदन जमा करने का निदेश दिया गया था। पुनः निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष लाभुको के प्रपत्र उप्लब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रति केन्द्र तीन आवेदन सृजन करने का लक्ष्य दिया गया। इस प्रकार जिले में संचालित सभी 1124 केन्द्रों के आधार पर कुल–3372 का लक्ष्य जिले के लिए दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इसके लिए प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका को लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें उत्तरदायित्व सौपने का निदेश दिया गया। संस्थागत प्रसव की सूची असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया। माह दिसम्बर 2013 तक पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

06– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :– इस योजना के तहत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्डवार एवं कोटिवार आवंटन तथा लक्ष्य उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान समय तक सिमरिया एवं ईटखोरी परियोजना से आवेदन प्राप्त हुए है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप सुयोग्य लाभुको के आवेदन प्राप्त कर पूर्ण जाचोपरांत पंचायत समिति से सूची अनुमोदित कराते हुए दिनांक 20.10.2013 तक निश्चित रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। लाभुको को चेक शादी के उपरांत शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उचित पहचान पर उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका)

07– पोषाहार :– समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि माह जुलाई 2013 तक के अभिश्रव की राशि सभी परियोजना को उपलब्ध करा दिया गया है। माह अगस्त 2013 से संबंधित अभिश्रव प्राप्त हुए है। जांचोपरान्त कम्प्यूटर में प्रविष्टि कराई जा रही है।

विभाग द्वारा पोषाहार मद में पूर्व के बकाया राशि हेतु आवंटन की मांग करने की अंतिम तिथि 15.10.2013 निर्धारित किया गया है। सभी बाल विकास परियेाजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि

आपके परियोजना में पोषाहार का अभिश्रव राशि के अभाव में लंबित है तो दिनांक 10.10.2013 तक निश्चित रूप से राशि की आवश्यकता से संबंधित विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समेकित रूप से अधियाचना विभाग को भेजी जा सके। निर्धारित अवधि के उपरांत अधियाचना प्राप्त होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

08– कुपोषण :– समीक्षा के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि कुपोषण उपचार केन्द्र चतरा में सभी 15 बेड खाली है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी महिला पर्यवेक्षिका को निदेश दिया गया कि दो दिनो के अन्दर प्रत्येक परियोजना से दो–दो कुपोषित बच्चों को चतरा स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराना सुनिश्चित करें। निदेश दिया गया कि कुपोषित बच्चों को M.T.C में भेजवाने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि बेड खाली नही रहे। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए भी कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तैयार रखे ताकि ससमय उन्हें M.T.C में भेजा जा सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

09– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना :–समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत माह अगस्त 2013 तक की राशि की निकासी कर संबंधित लाभुंको के खाता में हस्तांतरित किया जा चुका है।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह राशि की निकासी करते हुए उन्हें संबंधित लाभुको के खाता में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

10– भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :– 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी 47 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त है। विगत मासिक बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया था कि अपने–अपने परियोजना से 08–08 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन यथा खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमीन का किस्म आदि के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। हण्टरगंज परियोजना को छोडकर अन्य परियोजनाओं से सूची प्राप्त है। प्राप्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कई केन्द्रों के लिए प्रस्तावित जमीन रैयती है। फलस्वरूप भवन निर्माण के समय में अनावश्यक व्यवधान की संभावना है। रैयती भूमि के लिए भूमि मालिक के द्वारा उक्त भूमि माननीय राज्यपाल महोदय के नाम दान करना आवश्यक है।

निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए चयनित भूमि के खाता संख्या,प्लॉट संख्या, जमीन का किस्म आदि सत्यापन अवश्य करा लिये जांय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

11– आधार कार्ड :– सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चें एवं उनके मां– बाप का आधार कार्ड आवश्यक है। इससे संबंधित विहित प्रपत्र पूर्व में ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। निदेश दिया गया कि आधार कार्ड संख्या से संबंधित प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12– स्नेह शिविर कार्यकम :– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी परियोजनाओं में स्नेह शिविर कार्यकम की समीक्षा की गई। समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि वर्त्तमान समय तक किसी परियोजना में इस कार्यकम का आयोजन नही किया गया है।

निदेश दिया गया कि 20.10.2013 तक इसका आयोजन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

13– प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति (BLMC) एवं आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं सहयोग समिति (ALMSC) :– समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि वर्तमान समय तक प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति (BLMC) एवं आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं सहयोग समिति (ALMSC) की बैठक किसी भी परियोजना/प्रखण्ड में आयोजित नही की गई है। निदेश दिया गया कि अक्टूबर माह में दोनो स्तर की बैठक सुनिश्चित करें।

14– विकलांग छात्रवृति :– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि इस मद में प्राप्त आवंटन को सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपावंटित किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य से समन्वय स्थापित कर सुयोग्य लाभुको को खाता के माध्यम से राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

15– अन्यान्य :– उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के सभी पंजीकृत बच्चो का पूरा डाटा परियोजना में रखा जाना है। इसमे बच्चे का नाम उसके माता–पिता का नाम एवं पता का उल्लेख आवश्यक है। केन्द्रवार बच्चों की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में 25.10.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इसके अतिरिक्त परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का नया कोड निर्धारण किया जाना है। इससे संबंधित विभाग से प्राप्त निदेश की प्रति पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इससे संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि विभाग को प्रेषित किया जा सकें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 509 /स0क0 दिनांक 05.10.2013

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

5/10/2013

उपायुक्त,
चतरा।